FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

ायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

वान गंगूराम बनाम विनोद वगैरा

म मुकदमा दावा ~~प्रार्थना पत्र दीवानी~~ मुकदमा नं. 129 सन् 2018

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
10/18	वकील वादी श्री भजनाराम ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 08/11/18 को पेश हो।	

8/11/18
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप०/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कैरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21/1/19 को पेश हो।

21/1/19
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप०/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कैरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 23/4/19 को पेश हो।

23/4/19
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उप०/अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी कैरे /अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 30/7/19 को पेश हो।

30/07/19. पत्रावली पेश। वकील वादी उप० प्रतिवादी की तलबी अप्राप्त होने से पुनः सम्मन तलबाना पेश हो, नहीं चेक पत्रावली दि. 29/08/19 को पेश हो

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
15/10/2020	कोविड-19 संक्रमण के चलते पत्रावली इकजाही पेशीयों से आज पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्र०पत्र विड्रा पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में पक्षकारों के मध्य बाह्मी बंटवारा अनुसार राजीनामा हो गया है। पक्षकारों के आपसी समझौते के कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अतः दावा विड्रा करने की अनुमति प्रदान करें। वकील वादी का प्र०पत्र विड्रा स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर दावा विड्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही प्रस्तावित नही है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Drop किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राकेश कुमार) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner